न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 84 / 2018 / अपील / एलआरएक्ट / झालावाड

तारीख दायराः 27.9.18

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

राजेश कुमार आत्मज रामरतन गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम करावन तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

...अपीलांट

बनाम

1.अनिल कुमार आत्मज महेश कुमार कांतीवाल जाति प्रजापति नि0 भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
2.झालावाड नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भवानीमण्डी जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशचंद शर्मा आत्मज फूलचंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी भवानीमण्डी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
श्री अजय श्रृंगी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2

:::निर्णय:::

दिनांक 22.8.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी जिला झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 06 / अपील / 2013 बउनवान अनिल कुमार बनाम राजेश कुमार मे केम्प गुराडिया जोगा मे दिनांक 8.6.2018 को पारित निर्णय (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 अनिल कुमार ने ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा राजेश कुमार आ0 रामरतन गुप्ता नि0 करावन तह0 पचपहाड के पक्ष मे दिनांक 27.4.2013 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 944 ग्राम देवरिया तह0 पचपहाड से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2005 के आधार पर क्रय शुदा भूमि का नामा0 सं0 601 खोला गया जिसे बिना किसी स्थगन आदेश के तस्दीक नही किया यह नामा0 दिनांक 28.3.05 से बंद पडा फिर यकायक दिनांक 27.4.2013 को ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा ने नामा0 सं0 944 तस्दीक कर दिया जो न्याय विधान व तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से खारिज योग्य है। क्योकि ग्राम पंचायत को 45 दिन तक ही नामा0 तस्दीक करने की शक्तियां है इसके बाद नामा0 तस्दीक करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त है इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं नामा0 आदेश नियमो को नजरअंदाज कर पारित किया गया है। आदेश प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है। राजेश कुमार के पक्ष मे किया गया बेचान विधि विरूद्ध है ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार को बिना सूचना दिये नामा0 तस्दीक कर भूल की है। जिस संस्था से राजेश कुमार ने कृषि भूमि खरीदी है विकेता को कृषि भूमि नीलाम करने का अधिकार नही था विवादित भूमि के संबध मे विवाद उच्च न्यायालय जयपुर व रेवेन्यू बोर्ड अजमेर मे विचाराधीन है। अतः आदेश इन्तकाल सं0 944 निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 8.6.2018 को केम्प गुराडिया जोगा मे अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम देवरिया तहसील पचपहाड के नामान्तरकरण सं0 944 दिनांक 27.4.2013 को खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार पचपहाड को नामा0 सं0 944 निर्णय दिनांक 27.4.2013 से पूर्व (वादग्रस्त आराजी) की स्थिति बहाल करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 8.6.2018 से व्यथित होकर अपीलांट राजेश कुमार द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा

नामा0 सं0 944 ग्राम देवरिया सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट राजेश कुमार एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे बिना किसी आपसी सहमति के उपरांत भी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लोक अदालत केम्प कोर्ट गुराडिया जोगा मे प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय कर नामा0 सं0 944 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपील विषयक आराजीयात को पूर्व खातेदार द्वारा उसके जिम्मे त्रृण की अदायगी नही करने से सार्वजनिक नीलामी मे खरीद किया था जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2005 को अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किया गया था तब से ही बहैसियत क्रेता वैधानिक रूप से निरतंर काबिज चला आ रहा है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का नामा0 सं0 944 अपीलांट के पक्ष मे सही रूप से तस्दीक किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने मे त्रुटि की है। यह कि पूर्व मे स्थगन आदेश होने के कारण नामा0 निर्णित नही किया गया था इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर त्रुटि की है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 तस्दीक करने से पूर्व साबिक खातेदार को नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नही है। अनिल कुमार व्यथित पक्षकार नही होने से अपील पेश करने का अधिकारी नही था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है अतः अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्याा 944 दिनांक 27.4.2013 ग्राम देवरिया यथावत कायम रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट राजेश कुमार एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे बिना किसी आपसी सहमति के उपरांत भी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लोक अदालत केम्प कोर्ट गुराडिया जोगा मे प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय कर नामा0 सं0 944 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपील विषयक आराजीयात को पूर्व खातेदार द्वारा उसके जिम्मे त्रृण की अदायगी नही करने से सार्वजनिक नीलामी मे खरीद किया था जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2005 को अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किया गया। बैंक को भूमि की नीलामी करने का अधिकार है अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2017 । पेज 112 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये कथन किया कि तब से ही बहैसियत क्रेता वैधानिक रूप से निरतंर काबिज चला आ रहा है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का नामा0 सं0 944 अपीलांट के पक्ष मे सही रूप से तस्दीक किया गया था। बहस मे बताया कि पूर्व मे स्थगन आदेश होने के कारण नामा0 निर्णित नही किया गया था इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 तस्दीक करने से पूर्व साबिक खातेदार को नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नही है। अनिल कुमार व्यथित पक्षकार नही होने से अपील पेश करने का अधिकारी नही था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही किया। अन्त मे अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त करने तथा नामान्तरकरण संख्या 944 यथावत कायम रखने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका सार इस प्रकार है कि झालावाड नागरिक सहकारी बैंक भवानीमण्डी को राज0 सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 117 व 118 के तहत विवादित आराजी विक्रय करने का अधिकार नही था तथा विक्रय पर राजस्व मण्डल राज0 अजमेर का स्थगन आदेश दिनांक 28.11.2002 था जिसका नोट इंतकाल नम्बर 601 पर लगा है उक्त नोट एसडीओ भवानीमण्डी के आदेश दिनांक 10.5.2005 एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.5.2005 के आदेशानुसार पटवारी ने दिनांक 19.5.2005 को लगाया था जबकि अनिल कुमार ने दिनांक 22.4.2013 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा को देकर अपनी आपत्ति पेश कर रखी थी भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत विवादापस्पद इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार को है ग्राम पंचायत को नही है। विवादित आराजी झालावाड नागरिक सहकारी बैंक भवानीमण्डी मे कभी रहन नही रही और ना ही रहननामा का नोट अंकित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 1.7.2016 को मेगा केम्प सूलिया मे बहस सुनी गयी थी तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की थी जो शामिल मिसल है। दोनो पक्षो को दिनांक 8.6.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया मे उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया उक्त तारीख पेशी पर रेस्पो0 अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ परन्तु अपीलांट सूचना की जानकारी होने के उपरांत भी उपस्थित नही हुआ इस कारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। नामा0 सं0 601 ग्राम देवरिया दिनांक 27.11.2004 दर्ज

किया गया यह नामा0 इस कारण दर्ज नही हुआ क्योंकि दस्तावेज पंजीकृत नही थे अतः इस नामान्तरकरण को पेन्डिग बिना आदेश के रखा जाकर पुनः पटवारी आईएलआर द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी कि दस्तावेज पंजीकृत हो चुके है इसी क्रम मे पटवारी द्वारा दिनांक 12.4.2005 एवं आई एलआर ने दिनांक 25.4.05 रिपोर्ट पेश की गई जिस पर सरंपच ग्राम पंचायत गुराडिया जागा द्वारा विक्रय पत्र पर स्थगन आदेश का हवाला देकर नामा0 को पेंडिंग रखा गया जबकि किसी आदेश कि दिनांक या प्रकरण का अंकन नही किया गया। नामा0 सं0 944 दिनांक 27.4.2013 पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है अन्य पंच उपसरपंच के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार नामा0 कोरम के अभाव मे व विधि विरूद्ध तस्दीक किये जाने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत 45 दिन से अधिक के नामान्तरकरण को अपने रख कर तस्दीक नहीकर सकती यहां ग्राम पंचायत से वर्ष 2004 से पेण्डिग रख कर तस्दीक किया गया जो नियमो व विधि के विरूद्ध है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी से प्रकरण कामना बनाम बिमलादेवी के प्रकरण मे दिनांक 27.9.2004 को तहसीलदार पचपहाड को क्रेता के पक्ष मे नामा0 दर्ज कर तस्दीक करने लिखा गया था तो ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा उक्त आदेश से परे जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो काबिले खारिज योग्य है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.6.2018 यथावत रखा जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने बहस मे विवादित आराजी बैंक द्वारा विधिवत निलाम करने का कथन किया।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा दिनांक 4.4.2019 व दिनांक 4.6.2019 को तथा रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा दिनांक 18.6.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी बावत दस्तावेज रिकार्ड पर लेने पेश किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0 पत्र तथा दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस प्रा0 पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। न्यायहित मे उभय पक्षकारान के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रति दस्तावेजात, निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाते है। नामा0 सं0 944 दिनांक 27.4.2013 वाकै ग्राम देवरिया तह0 पचपहाड बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के निर्णय दिनांक 27.9.2004 को नजरअंदाज कर तस्दीक किये जाना प्रकट होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 8.6.2018 से स्वीकार कर नामा0 सं0 944 को खारिज करते हुये तहसीलदार पचपहाड को नामा0 सं0 944 निर्णय दिनांक 27.4.2013 से पूर्व (वादग्रस्त आराजी) की स्थिति बहाल करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का नामा0 सं0 944 ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा अपीलांट के पक्ष मे सही रूप से तस्दीक किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट राजेश कुमार एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे बिना किसी आपसी सहमति के उपरांत भी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लोक अदालत केम्प कोर्ट गुराडिया जोगा मे नामा0 सं0 944 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपील विषयक आराजीयात को पूर्व खातेदार द्वारा उसके जिम्मे त्रृण की अदायगी नही करने से सार्वजनिक नीलामी मे खरीद किया था जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2005 को अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 तस्दीक करने से पूर्व साबिक खातेदार को नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नही है।" अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 8.6.2018 तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजी के नामा0 सं0 601 दिनांक 21.5.2005 व नामा0 सं0 944 दिनांक 27.4.2013 वाके ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा तस्दीक किया गया है। नामा0 सं0 601 को पटवारी/आईएलआर द्वारा क्रमशः दिनांक 24.11.2004 एंव 27.11.2004 को खोला गया जो तस्दीक नही हुआ तथा पुनः पटवारी/आईएलआर दिनांक 19.4.2005 एवं 25.4.2005 को विक्रेता द्वारा क्रेता के हक मे रजि0 पंजीयन दि0 28.3.2005 की रिपोर्ट कर ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा स्थगन आदेश है अंकित कर पेंडिग रखा गया। नामा0 पर स्थगन आदेश की दिनांक प्रकरण का अंकन नही है। इसी प्रकार नामा0 सं0 944 रिपोर्ट दिनांक 24.4.2013 पटवारी हल्का द्वारा खोला जाकर नामा0 ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा मे तस्दीक हेतु पेश किया जो सरपंच ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा दिनांक 27.4.2013 को तस्दीक किया गया। इस वादग्रस्त आराजी के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण कामना बनाम बिमलादेवी मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2004 मे तहसीलदार पचपहाड को क्रेता के पक्ष मे नामान्तरकरण दर्ज करने

हेतु लिखे जाने का स्पष्ट आदेश है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 27.9.2004 को नजर अंदाज करते हुये तथा अधिकार क्षेत्र एंव क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। ग्राम पंचायत को 45 दिन के अन्दर–अन्दर नामा0 तस्दीक किये जाने की शक्तियां प्रदत्त है। 45 दिन उपरांत नामा0 तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता है। ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा विवादित आराजी के पूर्व मे खोले गये नामा0 सं0 601 के पेन्डिग रहते पुनः विवादित आराजी का नामा0 944 ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा प्रदत्त शक्तियां 45 दिवस उपरांत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर तस्दीक किया गया जिसे कानूनी एवं तकनीकी रूप से विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक नामा0 सं0 944 अपील विषयक आराजीयात को बैंक द्वारा की गई सार्वजनिक निलामी मे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दि0 28.3.2005 से क्रय किये जाने के आधार पर उसके पक्ष मे तस्दीक किये जाने का अपीलांट का तर्क है इस संबध मे व्यथित पक्षकार विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है, क्योंकि नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता बल्कि नामा0 कार्यवाही भूमि के लगान वसूली का निर्धारण मात्र है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत विवादापस्पद इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र तहसीलदार को है ग्राम पंचायत को नही है। विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0 944 ग्राम पंचायत गुराडिया जोगा द्वारा निहित शक्तियां 45 दिवस उपरांत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तस्दीक किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण को जेरअपील निर्णय दिनांक 8.6.2018 से निरस्त किया है जिसमे उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 1.7.2016 के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व लोक अदालत केम्प सूलिया मे प्रकरण मे बहस सुनी गयी थी तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की थी जो शामिल मिसल है। पत्रावली मे उपलब्ध लोक अदालत केम्प मे पक्षकारो को उपस्थित होने बावत जारी नोटिस के अवलोकन से प्रकट होता है अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को दिनांक 8.6.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया जोगा मे उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा उक्त तारीख पेशी पर रेस्पो0 अनिल कुमार अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ परन्तु अपीलांट राजेश सूचना की जानकारी होने के उपरांत भी उपस्थित नही होने पर प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई है जो विधिसम्मत है। अतः बिना विधिक प्रकिया अपनाये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय पारित करने संबधी विद्वान अभिभाषक अपीलांट का तर्क आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दि0 8.6.2018 विधिसम्मत होने से जेरअपील निर्णय मे हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा